PART- A MINUTES OF THE 40th MEETING OF STATE LEVEL EXPERT APPRAISAL COMMITTEE (SEAC), JHARKHAND HELD FROM 22nd and 23rd DECEMBER, 2016

The 40th meeting of State Level Expert Appraisal Committee (SEAC), Jharkhand was held on 22nd and 23rd December, 2016 under the Chairmanship of Sh. K.P. Bhawsinka in the Conference Room at SEAC, Ranchi. The following members were present:

1. Shri K.P. Bhawsinka - Chairman
2. Dr. B.K. Tewary - Member
3. Shri R.N. Singh - Member
4. Shri S.P. Shriwatav - Member
5. Dr. R.V Singh - Member
6. Shri U.P. Singh - Member
7. Shri S.K. Sinha, IFS - Member Secretary

A. 25.11.2016 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में उपायुक्त, सिमडेगा से दो पत्र एवं मेसर्स हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का अनुरोध पत्र पर SEAC से वस्तुस्थिति की मांग की गई है जिसपर समिति के द्वारा विचारोपरान्त निम्नवत मंतव्य भेजा जा रहा है:–

1. जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA), सिमडेगा के पत्रांक – 20, दिनांक– 28.07.2016 – इस पत्र में उपायुक्त, सिमडेगा के द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति देने संबंधी वन भूमि से विभिन्न मानक दूरी के निर्धारण का विषय उठाया गया है। नये खनन पट्टे एवं लीज नवीकरण हेतु वन भूमि से खनन पट्टा की दूरी अलग–अलग निर्धारित करने का विषय उठाते हुए उपायुक्त का कहना है कि निर्धारित न्यूनतम दूरी को प्रदूषण के दृष्टिकोण से विसंगति मानते हुए विषयवस्तु पर पुनः विचार किया जाय।

पट्टा नवीकरण वाले मामलों में पर्यावरणीय स्वीकृति पर झारखण्ड राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA), राँची की दिनांक– 27.05.2015 एवं 14.11.2015 की बैठक में निम्न निर्णय क्रमशः लिए गए थे –

"In SEIAA meeting, dated 24.09.2013 for renewal of cases, the distance of 50 meters from forest boundary is revisited.

This decision was reviewed in this meeting and SEIAA decided that in case of renewal of mining proposals EC will be granted on as is where it is basis but not in the Notified/ Demarcated forest."

Decision taken by SEIAA on 7.05.2013 regarding distance from forest boundary is substituted as follows:-

"For renewal cases of mining lease position of earlier lease as and where it was legally running is allowed and in case of new lease it should be at a distance of 250 meters from the nearest forest boundary".

समिति ने विचारोपरान्त पाया कि नवीकरण के मामलों में वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी से प्राप्त होने वाली सूचना पर कार्रवाई नहीं कर परियोजना को 'as and where it was' मानने पर निम्न वैधानिक समस्या उत्पन्न होने के संभावना है:–

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा लघु खनिज के B1 Category के संबंध में निर्गत दिशा निदेश संबंधी विभिन्न अधिसूचना/आदेश के उल्लंघन की संभावना (S.O.- 141 (E), dated-15.01.2016 देखें)।
2. बहुत सारे पुराने लीजधारक को पूर्व में Demarcation से बाहर, परन्तु अधिसूचित वन भूमि में खनन पट्टा मिल गया था। ऐसे खनन पट्टेधारी को पुनः बगैर वन प्रमंडल पदाधिकारी के NOC प्राप्त किये पर्यावरणीय स्वीकृति देने से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है एवं माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर हो रहे हैं।
3. बहुत सारे ऐसे खनन पट्टे भी पूर्व में स्वीकृत हुए थे, जहाँ पर 'जंगल–झाड़' के रूप में दर्ज भूमि पर खनन पट्टा स्वीकृत हुआ था, जबकि 'जंगल–झाड़' के रूप में दर्ज भूमि पर खनन कार्य करने के पूर्व वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत सक्षम स्तर से अनुमति आवश्यक है। अतः बगैर वन भूमि के status की जानकारी के लीज नवीकरण के मामलों में पर्यावरणीय स्वीकृति दिया जाना प्रावधानों का उल्लंघन होगा।
4. बहुत सारे मामलों में वन भूमि से बिल्कुल सटे हुए हिस्से में खनन पट्टा पूर्व में स्वीकृत हुए हैं, जिससे वन भूमि की क्षति के अलावे वन भूमि की वनस्पति, वन्य प्राणी की क्षति की संभावना रहती है। बहुत सारे मामलो में लीज क्षेत्र में खनन कार्य नही कर समीपवर्ती वन भूमि में खनन किया जाता है, जिसकी रोकथाम वन विभाग के लिए करना बहुत कठिन हो जाता है। बहुत सारे मामलों में ऐसे खनन पट्टेधारी पर वन विभाग के द्वारा मुकदमा भी दायर किया गया है। अतः यह आवश्यक प्रतीत होता है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी से लीज नवीकरण के मामलों में स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त कर लिया जाय।

<u>अतः ऐसी स्थिति में निम्न प्रस्ताव दिया जा रहा है:–</u>

1. अन्य सीमावर्ती राज्यों से नये एवं पुराने खनन पट्टे के मामले में वन भूमि से प्रस्तावित खनन पट्टा की दूरी की सूचना प्राप्त की जाय।

2. फिलहाल SEIAA एवं SEAC के द्वारा संयुक्त बैठक में दिनांक– 24.09.2013 को लिए गए निर्णय, जिसमें नये एवं पुराने खनन पट्टों के मामलों में क्रमशः 250 मीटर एवं 50 मीटर की दूरी निर्धारण संबंधी निर्णय को यथावत रहने दिया जाय परन्तु नवीकरण के मामलों में (B1 एवं B2 Category) वन प्रमंडल पदाधिकारी से प्रस्तावित भूमि से वन भूमि की दूरी, अधिसूचित वन भूमि अथवा संरक्षित क्षेत्र आदि से दूरी की सूचना प्राप्त कर लेना आवश्यक है, जिससे कि अधिसूचित वन भूमि अथवा संरक्षित क्षेत्र यथा नेशनल पार्क, अभ्यारण्य के 10 कि०मी० के अंदर प्रस्तावित स्थल आता है या नही ? सूचना प्राप्त की जाय।
3. इसी प्रकार अंचल अधिकारी से भी सूचना प्राप्त कर लेना आवश्यक है ताकि संबंधित भूमि के status की जानकारी के अलावे अंतर्राज्यीय सीमा, मानव बसाहट, जल स्त्रोत आदि की जानकारी प्राप्त हो सके ताकि खनन कार्य से संभावित प्रदूषण की रोकथाम हेतु आवश्यक शर्त लगाया जा सके।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में फिलहाल लीज नवीकरण के मामलों में दिनांक– 27.05.15 एवं 14.11.15 SEIAA की बैठक में 'as and where it was' संबंधी निर्णय को स्थगित रखने पर विचार किया जा सकता है एवं अन्य राज्यों से दूरी संबंधी सूचना प्राप्त हो जाने पर पुनः समीक्षोपरान्त निर्णय लेने का आवश्यकता है।

2. जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA), सिमडेगा के कार्यालय का पत्रांक–11, दिनांक–25.06.2016।

मेसर्स मंजुर अली स्टोन माईन, रकबा– 0.404 हे०, मौजा–गोबरधंसा, पो0–कोलेबीरा, थाना– कोलेबीरा, जिला–सिमडेगा के संबंध में दिनांक 22.12.2016 की बैठक में विमर्श किया गया। इस मामले में स्पष्ट होता है कि झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (JSPCB), धुर्वा के पत्रांक–G- 67, दिनांक–05.01.13 के द्वारा 200 घनमीटर प्रतिदिन Stone Boulder उत्पादन हेतु Consent to Operate प्राप्त है। अतः यह अपेक्षा की जाती है कि इकाई प्रतिदिन 200 घनमीटर के Stone Boulder का हीं उत्पादन करेगी और तदनुसार Consent to Establish एवं Consent to Operate निर्गत करते समय 200 घनमीटर प्रतिदिन Stone Boulder उत्पादन के फलस्वरूप उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु शर्त लगाये जाते।

यदि संबंधित खनन पट्टेधारी को 1 माह में ही 68,460 घनमीटर Stone Boulder का उत्पादन करना था तब आवेदक से यह अपेक्षा थी कि वे तदनुसार ही अपना Consent to Establish एवं Consent to Operate का आवेदन समर्पित करते ताकि पर्षद द्वारा तदनुसार सभी तथ्यों की समीक्षा कर प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक शर्त लगा सके।

इसी प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि यदि वर्ष में 300 कार्य दिवस मानते हुए Stone Boulder उत्पादन की गणना की जाए तब भी यह 60,000 घनमीटर होता है, जबकि वर्तमान पट्टा धारक मेसर्स मंजूर अली स्टोन माइन्स द्वारा एक माह (मार्च 2015) में ही 68,460 घनमीटर Stone Boulder का उत्पादन कर लिया है और इसके

अतिरिक्त जनवरी एवं फरवरी 2015 तथा अप्रैल, मई, एवं जून 2015, में Stone Boulder का उत्पादन किया गया, जिसका कुल उत्पादन 12,140 घनमीटर होता है।

इस प्रकार इनका वार्षिक उत्पादन जनवरी 2015 से लेकर जून 2015 तक कुल 80,600 घनमीटर हो जाता है। स्पष्ट है कि इस इकाई में उत्पादन क्षमता से ज्यादा उत्पादन किया है, फलस्वरूप इनके विरूद्ध सुसंगत नियमों के अधीन कार्रवाई करने हेतु उपायुक्त, सिमडेगा को पत्र भेजा जा सकता है।

3. Proposed Expansion of Mosabani Copper Ore Concentration Plant from 0.612 MTPA to 0.9 MTPA of M/s Hindustan Copper Limited at Village- Badia, Block- Mosabani, Dist.- East Singhbhum, Jharkhand.

मेसर्स हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा दिनांक – 20.12.2016 को SEIAA, झारखण्ड कार्यालय में आवेदन समर्पित किया है, जिसके EAC की 10वीं बैठक दिनांक – 29 से 31 अगस्त, 2016 की कार्रवाई संलग्न है जिसमें उक्त परियोजना के TOR की अवधि को 04.03.2017 तक मान्य माना गया है। अतः के द्वारा कोई मंतव्य नहीं दिया जा रहा है।

B. सभी परियोजना प्रस्तावक/**Consultant**/**RQP** से अनुरोध है कि **Online submission** के बाद **SEIAA** को जमा होने वाले हार्ड कॉपी/सॉफ्ट कॉपी की अतिरिक्त कॉपियां **SEAC** के अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों के घर के पता पर भेजना सुनिश्चित करें।

The meeting concluded with thanks to all present.

(Dr. B.K. Tewary)
Member

(R.N. Singh)
Member

(S.P. Srivastav)
Member

(Dr. R. V. Singh)
Member

(U.P. Singh)
Member

(S.K. Sinha)
Member Secretary

(K.P. Bhawsinka)
Chairman